

रामसिंह नेताजी
RAM SINGH NETAJI



सदस्य, दिल्ली विधान सभा
नेता, विधायक दल (बसपा)
सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
MLA, DELHI
Leader, Legislative Party (BSP)
Member, Delhi Jal Board

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 418
Dated 16/11/11

सत्यमेव जयते

D.O. 2146 dated 13.11.2011

Lead Central Dy. No. 69
Dated 15.11.11
R&D Section, Vikas Minar
Delhi Development Authority
Meeting Acctt

Some 08710

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्से को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतु निवेदन।

श्रीमानजी,

इस पत्र के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किये गये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मेरे विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर वार्ड व जैतपुर वार्ड को जोन ओ (Zone O) मतलब यमुना नदी का अग्रभाग घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही यमुना नदी का हिस्सा माना है व इस क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है। भविष्य में यमुना नदी के बेहतर संरक्षण हेतु हमें वो इलाका ही ओ जोन में घोषित करना चाहिए, जिसे हम बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकें। जिसमें हम ज्यादा पेड़ लगाकर और उसे आबादी मुक्त रख सकें, ना कि अनाधिकृत कालोनियाँ व ग्रामीण या शहरीकृत गांव को इस इलाके में डालना चाहिए। इससे भविष्य में हमें यमुना नदी के संरक्षण में दिक्कत आएगी। इसीलिये ओ जोन के लिये 300 मीटर के दायरा सर्वथा उचित है।

श्रीमानजी, मेरे विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर वार्ड व जैतपुर वार्ड को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ओ जोन (Zone O) घोषित किया गया है उसमें जैतपुर गांव, हरीनगर गांव व मीठापुर गांव लाल डोरे के गांव हैं व इसके अलावा लगभग 50 अनाधिकृत कालोनियाँ जो दिल्ली सरकार की 1639 की सूची में सूचीबद्ध हैं, शामिल हैं व यहां कि आबादी लगभग 4 लाख से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को ओ जोन में शामिल करने से क्षेत्र के निवासियों में बेहद रोष व्याप्त है।

नहरपार के इस क्षेत्र को ओ जोन (Zone O) में शामिल करने से हमें कई सरकारी विकास कार्यों में बाधा आ रही है। जिसमें इतनी बड़ी आबादी के लिये मीठापुर में बनने वाला 60 बिस्तरों को दिल्ली सरकार का जच्चा बच्चा अस्पताल, जैतपुर में बनने वाले 5वीं कक्षा तक के विद्यालय, जैतपुर में बनने वाले दिल्ली जल बोर्ड के मिनी वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इस पूरे क्षेत्र के लिये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग व ऐसी ही कई योजनाएँ हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र को जोन ओ (Zone O) में डाले जाने की वजह से अधर में लटक गई हैं।

JBent
17/11

DD MPR
18/11
A.D. II MPR

Contd... 2

रामसिंह नेताजी
RAM SINGH NETAJI



सदस्य, दिल्ली विधान सभा
नेता, विधायक दल (बसपा)
सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
MLA, DELHI
Leader, Legislative Party (BSP)
Member, Delhi Jal Board

मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र यमुना फ्रन्ट पर नहीं आता, अपितु मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाद हरियाणा की कुछ अनाधिकृत कालोनियों के अलावा बसन्तपुर गांव, ईस्मायलपुर गांव, अगवानपुर गांव व सेहतपुर गांव की आबादी आती है व कुछ सैक्टर भी आते हैं, उसके बाद कहीं यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान 2021 में यमुना नदी के किनारे बसी गांधी नगर, लक्ष्मी नगर व शकरपुर के ईलाके को पी. जोन (Zone P) में रखा है, जबकि यह ईलाका यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आता है परन्तु मेरे क्षेत्र की वो कालोनियाँ जो यमुना फ्रन्ट पर भी नहीं है, अपितु उनके व यमुना नदी के बीच में हरियाणा की पूरी आबादी बसी हुई है, जिसमें गांव, सैक्टर व कालोनियाँ शामिल हैं, व यमुना नदी से 3 से लेकर 6 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी यमुना फ्रन्ट बताकर जोन ओ (Zone O) में शामिल किया गया है, जो कि सरासर गलत है।

श्रीमानजी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा, आगरा नहर के साथ साथ प्रस्तावित कालिन्दी कुंज-पल्ला बाई पास को ओ-जोन की सीमा रेखा, बनाई गई है। मेरा सुझाव व प्रस्ताव है कि आप कृपया दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा तय किये गये 300 मीटर के दायरे को ही ओ जोन (Zone O) की सीमा रेखा मानें, जिससे कि हम लोग यमुना नदी के भी बेहतर संरक्षित कर सके व साथ ही जनहित के विकास कार्यों में भी कोई अवरोध खड़ा ना हो।

अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया मेरे क्षेत्र में मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव के अनुसार मेरे क्षेत्र को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डालने की कृपा करें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

आपका अपना,

(रामसिंह नेताजी)

प्रतिलिपी:-

- 1- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
- 2- माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
- 4- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
- 5- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
- 6- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
- 7- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।